कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक–'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो–827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : ...., दिनांक : ....

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

बोकारो।

विषय :– **मेसर्स आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक–FP/JH/ENCRCH/39652/2019/724, दिनांक 02.12.2025 ।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ज्ञापांक 37 दिनांक 09.01.2025 एवं पत्रांक 176 दिनांक 28.02.2025 ।

3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का पत्रांक 607 दिनांक 01.03.2025 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र–2 के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं के निराकरण प्रतिवेदन पर मंतव्य अंकित कर समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ के प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन मंतव्य सहित समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

क्र0सं0	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3
1.	''वन प्रमण्डल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पत्रांक 890 दिनांक 20.08.2024 (क्रमशः) से संबंधित गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी किस्म जंगल भूमि का पूर्व से ही दाखिल–खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम होना एवं लगान रसीद निर्गत होना बताया गया है किन्तु इसके सापेक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य–दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि संदर्भित वन भूमि 1980 से पूर्व (वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्थल–प्रतिवेदनानुसार 1940–60 के मध्य) कृषि कार्यों हेतु बंदोबस्तित किया जा चुका था।''	उपायुक्त, रामगढ़ ने अपने पत्रांक 165/रा0 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) को अपना पक्ष सीधे प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है **(बंडल–01)**। उक्त उत्तर से उद्धृत पदयांश, ''पंजी–II के भोल्यूम संख्या–01 वर्ष 1984–85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद संख्या–549032 दिनांक 21.01.1955, रसीद संख्या–886455 दिनांक 04.09.1954 इत्यादि दर्ज है'' **जो दर्शाता है कि अधिकतर प्रथम रसीद 1940–60 के बीच में निर्गत है।** जिसका सार

क्र0सं0	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3
		प्रपत्र–1 में उपायुक्त के उत्तर में संलग्न है। **उपलब्ध पंजी–II जिसमें 1984–85 से रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है, 1996 से पूर्व का है।** संबंधित केवाला में भी बंदोबस्त वर्ष अंकित है, जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है और जिसका सार प्रथम 03 पृष्ठों में दिया गया है **(बंडल–2)**।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन की सात प्रतियाँ संलग्न समर्पित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक 290, **दिनांक** 11.03.2025

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.2025

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।